UNDER GRADUATE MEDICAL ADMISSION COUNSELLING-2016

FOR

ADMISSION TO MBBS / BDS COURSES AS PER STATE MERIT / RANK LIST OF NEET(UG)-2016 AGAINST STATE QUOTA SEATS

(UGMAC – 2016)
(MBBS / BDS Courses)

PROSPECTUS
विवरण पुस्तिका

शैक्षणिक सत्र - **2016-2017**

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद

Visit our Website: www.bceceboard.com

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद

अन्डर ग्रेज्यूएट मेडिकल एडमिशन कॉउन्सेलिंग-2016

(Under Graduate Medical Admission Counselling-2016

विवरण पुस्तिका

परिचय :

स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक-1/प.नि.-01/2015-884(1)/ स्वा., पटना, दिनांक 04.07.2016 के आलोक में बिहार राज्य के चिकित्सा / दन्त चिकित्सा महाविद्यालयों के एम.बी.बी.एस. / बी.डी. एस. पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों की कॉउन्सेलिंग मनोनयन / चयन , राष्ट्रीय स्तर पर सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एडुकेशन द्वारा आयोजित NEET (UG)-2016 की मेधा-सूची के अनुसार राज्य कोटा की 85 % सीटों पर, योग्यता-सह-विकल्पानुसार बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा किया जायेगा ।

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार-सीमा एवं प्रारम्भ :

(i) यह विवरण पुस्तिका ''UGMAC-2016 की विवरण पुस्तिका'' के नाम से जानी जायेगी ।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(iii) यह तुरन्त लागू होगी ।

1.1 परिभाषायें :

(i) ''पाठ्यक्रम'' से अभिप्राय है स्नातक स्तर के MBBS / BDS पाठ्यक्रम ।

(ii) ''परीक्षा'' से अभिप्राय है सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एडुकेशन द्वारा आयोजित NEET (UG)-2016 ।

(iii) ''पर्षद'' से अभिप्राय है बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद ।

(iv) ''सरकार'' से अभिप्राय है बिहार सरकार ।

(v) ''परीक्षा नियंत्रक'' से अभिप्राय है परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, जो सरकार द्वारा नियुक्त किये गये हैं ।

(vi) ''बिहार'' से अभिप्राय है पुनर्गठन उपरान्त बिहार जो बिहार पुनर्गठन अधिनियम-2000 की धारा-4 (Clause 4 of Bihar Reorganisation Act-2000) के अनुसार पारिभाषित है ।

(vii) **चिकित्सा धारा से अभिप्राय :**

चिकित्सा धारा से अभिप्राय है MBBS / BDS पाठ्यक्रम ।

2. संस्थान एवं शाखा परिवर्तन :

संस्थान एवं शाखा परिवर्तन संबंधी सभी मामलों पर पर्षद द्वारा स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के निर्देशानुसार निर्णय लिया जायेगा। पर्षद का निर्णय अन्तिम होगा । उसके बाद संस्थान एवं पाठ्यक्रम परिवर्तन-संबंधी किसी भी आवेदन पर संबंधित संस्थानों/ विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों के निदेशकों/ कुलपतियों/ प्राचार्यों अथवा संबंधित निदेशालयों द्वारा विचार नहीं किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में उनके द्वारा पर्षद के निर्णयों का अतिक्रमण नहीं किया जायेगा ।

3. चिकित्सा / दन्त चिकित्सा संस्थानों के पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सीटें :

विभिन्न चिकित्सा / दन्त चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध सीटों की संख्या का विवरण सारणी-1 में दिया गया है । बिहार सरकार/ भारत सरकार द्वारा विभिन्न संस्थानों की सीटों की कुल संख्या में फेर-बदल करने पर तदनुसार जानकारी नामांकन हेतु साक्षात्कार के पूर्व दे दी जायेगी ।

4. आरक्षण / आरक्षण कोटि / आरक्षण नीति :

4.1 NEET (UG)-2016 की मेधा-सूची (Rank list) के आधार पर **नामांकन हेतु चयन एवं आरक्षण लाभ के लिए** UGMAC-2016 **के** Online **आवेदन के निर्दिष्ट स्थान पर उसी आरक्षण कोटि को भरें जिसके लिए आपको विधिवत् जाति प्रमाण प्राप्त हो । राष्ट्रीय स्तर पर** OBC (Other Backward Class) **को बिहार राज्य में** BC (Backward Class) **एवं** EBC (Extremely Backward Class) **के रूप में पहचान प्राप्त है। अतः** OBC **के स्थान पर** BC **अथवा** EBC **जिस आरक्षण कोटि में आप आते हों उसका ही अल्लेख करें ।**

UGMAC-2016 **के अनुसार नामांकन हेतु अभ्यर्थियों के चयन में बिहार सरकार द्वारा इस कॉउन्सेलिंग हेतु** NEET(I)-2016 **के लिए** Online **आवेदन** Submit **करने की प्रक्रिया आरम्भ करने की तिथि तक बिहार सरकार द्वारा निर्धारित / लागू आरक्षण सम्बन्धी नियमों / नीतियों का पालन किया जायेगा ।**

4.2 जो आवेदक बिहार राज्य के मूल निवासी हों और जिन्हें बिहार सरकार के वांछित पदाधिकारी से आरक्षण लाभ के लिये उचित जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त हो, उनके लिये प्रत्येक संस्थान की सीटों पर नामांकन हेतु उपरोक्त कंडिका-.1 के आलोक में आवंटन के लिए बिहार सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति के अनुसार विभिन्न कोटियों के लिये आरक्षण निम्नवत हैं:-

क्रम	कोटि		आरक्षित सीटों का प्रतिशत
1.	अनुसूचित जाति (Scheduled Caste : SC)	–	16 %
2.	अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe : ST)	–	1 %
3.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (Extremely Backward Class : EBC)	–	18 %
4.	पिछड़ा वर्ग (Backward Class : BC)	–	12 %
5.	आरक्षित वर्ग की महिलायें (Reserved Category Girls: RCG)	–	3 %

शेष **50 %** अनारक्षित सीटें सामान्य (खुली गुणागुण) कोटि (General Category : GEN) की समझी जायेंगी।

4.3 जो आवेदक बिहार के मूल निवासी नहीं हैं, वे बिहार राज्य के संस्थानों में आरक्षण कोटियों के लिये कर्णांकित सीटों पर नामांकन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के अनुसार पात्रता-प्राप्त नहीं होंगे।

4.4 NEET (UG)-2016 **की** मेधा-सूची (Rank list) में अंकित कोटि एवं बिहार सरकार द्वारा तद्नुसार निर्गत SC/ST/EBC/BC की सूची जो कॉउन्सेलिंग हेतु प्रक्रिया आरम्भ करने की तिथि तक लागू किये गये हैं तथा जिसके लिए जाति प्रमाण पत्र विधिवत प्राप्त हो, उसी के आधार पर ही आरक्षण हेतु कोटि (Category) मान्य होगा । OBC के स्थान पर BC अथवा EBC जिस आरक्षण कोटि में अभ्यर्थी अपना UGMAC-2016 के आवेदन प्रपत्र पर यथास्थान अपनी कोटि भरेगा उसके अनुसार उन्हें सिर्फ BC या EBC कोटि में अलग-अलग किया जायेगा।

4.5 **(i)** आरक्षित वर्ग के वैसे अभ्यर्थी जो अपनी मेधा के आधार पर सामान्य (खुली गुणा गुण) कोटि की मेधा सूची में स्थान प्राप्त करते हैं, उन्हें सामान्य (खुली गुणा गुण) कोटि में मनोनुकूल पाठ्यक्रय / संस्थान प्राप्त नहीं होने पर, बेहतर विकल्प के लिए अपनी सम्बन्धित आरक्षण कोटि के मेधाक्रम के अनुसार पाठ्यक्रम / संस्थान के चयन का विकल्प प्राप्त हो सकेगा ।

(ii) स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के पत्र संख्या-1/कोर्ट-64/2014-01 (कैम्प-SHS) दिनांक 28.09.2014 के आलोक में उपरोक्त चयन विकल्प के कारण सामान्य (खुली गुणा गुण) कोटि की जो सीट रिक्त होगी उसे सामान्य (खुली गुणा गुण) कोटि की मेधा-सूची के अनुसार मेधा-सह-विकल्प के आधार पर भरा जायेगा ।

(iii) उपरोक्त सम्बन्ध में बिहार सरकार अगर जी.वी.नूतन द्वारा दायर एल.पी.ए.संख्या-385/2014 में दिनांक 06.05.2014 में पारित आदेश के आलोक में अथवा इसी सन्दर्भ में अन्य कोई सुविचारित संशोधन जारी करेगी तो उसे लागू किया जायेगा।

4.6 विकलांग कोटा (Disabled Quota i.e. DQ) के अन्तर्गत आरक्षित सीटें :

4.6.1 विकलांगों के लिए सभी संस्थानों में कुल निर्धारित सीटों की तीन प्रतिशत सीटें विकलांग कोटा के लिये आरक्षित हैं जो निर्धारित कुल सीटों की संख्या में ही सम्मिलित होंगी ।

इस क्रम में नामांकन हेतु सीट आवंटन के उद्देश्य से यदि राज्य सरकार कोई अन्य आदेश, कॉउन्सेलिंग / साक्षात्कार के लिए कॉउन्सेलिंग प्रक्रिया आरम्भ करने तक जारी करती है तब उसी आदेश के अनुरूप, विकलांग कोटा के अन्तर्गत नामांकन में आरक्षण-प्रावधान लागू होगा।

4.6.2 विकलांग कोटा के अभ्यर्थी UGMAC-2016 की कॉउन्सेलिंग में सम्मिलित होने के लिए अपने आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर DQ (Disable Quota) अंकित करें जो NEET (UG)-2016 की मेधा-सूची में उनके विकलांग (PH) या (DQ) होने को संपुष्ट करता हो । ऐसे विकलांग अभ्यर्थियों को बिहार सरकार द्वारा प्राधिकृत चिकित्सा पदाधिकारी / बोर्ड द्वारा विकलांगता सम्बन्धी वांछित प्रमाण पत्र का होना आवश्यक है। इस प्रमाण पत्र पर अभ्यर्थी का अभिप्रमाणित फुल साईज का फोटो चिपका होना चाहिये । इस प्रमाण पत्र में विकलांगता की कोटि, विकलांगता का प्रतिशत, विकलांगता के स्थायी होने अथवा विकलांगता के घटने-बढ़ने की स्थिति में विकलांगता प्रमाण पत्र कब तक के लिये मान्य है की अवधि / तिथि का उल्लेख होना चाहिए ।

4.6.3 विकलांग कोटा के अन्तर्गत मेधा-सह-विकल्प के आधार पर विकलांग आवेदक तभी पाठ्यक्रम का चयन कर सकेंगे जबकि स्वीकार्य मानकों के अधीन निर्धारित विकलांगता के अनुरूप उनकी विकलांगता ऐसे पाठ्यक्रम के चयन में बाधक नहीं होगी । डॉक्टरी जाँच में योग्य पाये जाने पर ही आवेदक को नामांकन आदेश निर्गत किया जायेगा। इस डॉक्टरी जाँच के लिये अलग से शुल्क लगेगा [(देखें परिशिष्ट-2 ।

5. अभ्यर्थियों के लिए वांछित योग्यताऐं / अर्हताऐं :-

5.1 शैक्षणिक :

(i) 10 + 2 / आई.एस.सी. / प्री-मेडिकल या समकक्ष परीक्षा में अंग्रेजी (भाषा और सहित्य के रूप में) भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान (बौटनी एवं जुलॉजी) विषयों में अलग-अलग उतीर्ण । सामान्य वर्ग के आवेदक को भौतिक विज्ञान, रसायन विभाग एवं जीव विाान को एक साथ मिलाकर न्यूनतम 50% अंक किन्तु अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग के आवेदक को भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव-विज्ञान को एक साथ मिलाकर 40% अंक प्राप्त होना चाहिए ।

(ii) (क) उपरोक्त के अतिरिक्त NEET(UG)-2016 की परीक्षा के आधार पर बनायी गयी मेधा-सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को भौतिक विज्ञान, रसायन विभान एवं जीव विज्ञान विषयों को एक साथ मिलाकर कुल प्राप्तांक 50 Percentile से कम नहीं होना चाहिए । अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों को भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान को एक साथ मिलाकर कुल प्राप्तांक 40 Percentile से कम नहीं होना चाहिए ।

(ख) विकलांग अभ्यर्थियों, जिन्हें सिर्फ Lower Limbs को Locomotory से सम्बन्धित विकलांगता है उनके लिए NEET(UG)-2016 की परीक्षा में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान को एक साथ मिलाकर कुल प्राप्तांक 45 Percentile से कम नहीं होना चाहिए । परन्तु अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), पिछड़ी जाति (BC) और अत्यन्त पिछड़ी जाति (EBC) के आवेदकों की अर्हता (Eligibility), अर्हक (Qualifying) परीक्षा तथा प्रतियोगिता परीक्षा में 40 Percentile प्राप्तांक 40 Percentile यथावत् होगी ।

(iii) उपरोक्त कंडिका- 5(i) एवं 5(ii) के प्रावधान मेडिकल कॉन्सिल ऑफ इन्डिया के निर्णयानुसार संशोधित / परिमार्जित की जा सकती है और वे ही प्रावधान अन्तिम रूप से मान्य होगे।

(iv) स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के पत्र के अनुसार भविष्य में राज्य सरकार / भारत सरकार / भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद / भारतीय दन्त परिषद / माननीय न्यायालय से यदि कोई आदेश / निर्देश प्राप्त होता है तो तद्नुसार विचारोपरान्त कार्रवाई की जायेगी ।

5.2 आयु सीमा :

MBBS / BDS पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु-सीमा NEET(UG)-2016 की परीक्षा-वर्ष की 31 दिसम्बर को 17 वर्ष होनी चाहिए । तद्नुसार अभ्यर्थी की जन्म तिथि 31.12.1999 के बाद नहीं होनी चाहिए । इस सम्बन्ध में मेडिकल कॉन्सिल ऑफ इन्डिया के अद्यतन प्रावधान लागू होंगे ।

5.3 शाीररिक :

प्रवेश के लिये चयनित अभ्यर्थियों की डाक्टरी जाँच होगी । जाँच में योग्य पाये जाने पर ही अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु आवंटन-आदेश निर्गत होगा । इस जाँच के लिए अलग से शुल्क लगेगा ।

5.4 आवासीय अर्हता :

केवल वे ही आवेदक NEET(UG)-2016 के आधार पर प्रवेश पा सकते हैं जो भारत के निवासी हैं और

I. जिनके माता-पिता बिहार के स्थायी निवासी हैं।

अथवा

II. जिनके माता-पिता बिहार में निबंधित शरणार्थी हैं।

अथवा

III. जिनके माता-पिता रहनेवाले दूसरे राज्य के हैं, लेकिन बिहार सरकार के कर्मचारी हैं ।

अथवा

IV. जिनके माता-पिता पुनर्गठन के पूर्व बिहार सरकार के वैसे कर्मचारी हैं जिनके संवर्ग का विभाजन अभी नहीं हुआ है और जिनका पद बिहार / झारखंड राज्य में अभी भी स्थानान्तरणीय है।

अथवा

V. जिनके माता-पिता बिहार में पदस्थापित भारत सरकार के कर्मचारी हैं या बिहार राज्य में स्थित भारत सरकार द्वारा संचालित कारखानों अथवा संस्थानों (Public Sector Undertaking of Govt. of India) के कर्मचारी हैं।

अथवा

VII. जिनके माता-पिता राष्ट्रसंघ के कर्मचारी हैं और तत्काल बिहार में पदस्थापित हैं।

6. NEET(UG)-2016 की मेधा-सूची के आधार पर UGMAC-2016 की कॉउन्सेलिंग में सम्मिलित होने के लिए योग्यता (Eligibility), Online आवेदन की प्रक्रिया एवं कॉउन्सेलिंग शुल्क :

(i) योग्यता (Eligibility) :

NEET (UG)-2016 जो राष्ट्रीय स्तर पर CBSE, New Delhi द्वारा आयोजित की गई है, के आधार पर प्राप्त मेधा सूची में सम्मिलित अभ्यर्थी ही UGMAC-2016 के लिए Online आवेदन करने हेतु योग्य (Eligible) है ।

(ii) UGMAC-2016 हेतु Online आवेदन की अनिवार्यता :

उपर वर्णित कंडिका-5.4 एवं 6(i) के अनुसार योग्य (Eligible) अभ्यर्थियों के लिए UGMAC-2016 के आधार पर MBBS / BDS कोर्स / पाठ्यक्रम की बिहार राज्य कोटा की 85% सीटों पर नामांकन हेतु कॉउन्सेलिंग में सम्मिलित होने के लिए Online आवेदन करने की प्रक्रिया नीचे कंडिका-6(iii) में दी गयी है । जो अभ्यर्थी UGMAC-2016 के लिए Online आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे वे UGMAC-2016 से सम्बन्धित किसी भी कॉउन्सेलिंग में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे एवं इस सम्बन्ध में उनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

(iii) Online आवेदन हेतु आवश्यक प्रक्रिया :

UGMAC-2016 में सम्मिलित होने के लिए विवरण-पुस्तिका पर्षद के Website : www.bceceboard.com से Download कर प्राप्त कर सकते हैं ।

UGMAC-2016 में सम्मिलित होने के लिए योग्यता प्राप्त (Eligible) अभ्यर्थी उपरोक्त website के 'Apply for UGMAC-2016' के Link पर Click करें । इसके साथ ही Online आवेदन हेतु screen पर दिये गये निर्देशों (Instructions) को अच्छी तरह पढ लें ।

(i) **STEP ONE (Registration) :** For registration, the candidate is required to fill the informations asked in Step-1 of the Application Form, appearing on computer screen. A SMS / Email will be sent to the registered Mobile Number / registered email ID which will contain the UGMAC-ID. He/She is requested not to disclose his/ her login credentials to any one. If he / she does so, the Board will not be responsible for this. Such UGMAC-ID and Password must be noted and preserved for future use.

(ii) **STEP TWO (Counselling Fee) :** Those candidates who have completed Step-1 successfully will login to their account by entering their UGMAC-ID and Password and then clicking "**Sign In**" button. After successfull login, the candidate will make the payment of the Counselling Fee. There are two modes for payment :

(a) **Payment by Bank Challan :** If candidate wants to make payment through challan mode, click on **'Print Challan'** button. After clicking a Bank Challan will appear in triplicate form which should be downloaded by the candidate (consisting of Bank's Copy , Board's Copy & Candidate's Copy) and using the Bank challan, he / she should then deposit UGMAC-2016 Counselling Fee i.e. Rs. 600/- (Six hundred) only for General / BC/ EBC

candidates and Rs. 300/- (Three hundred) only for SC / ST candidates in any Branch of Canara Bank. After depositing the aforesaid counselling fee, the Canara Bank will return to the candidate the Board's Copy and Candidate's Copy of the paid challan. Bank charge of Rs.60/- will be paid extra by the candidate.

(b) **Online Payment :** If candidate wants to make payment through Online Mode, click on **'Online Payment'** link. After clicking, the candidate can make payment though Net Banking / Debit Card / Credit Card of any bank listed on the website. Transaction processing fee and the service tax will be paid extra by the candidate along with the Counselling Fee i.e. Rs. 600/- (Six hundred) only for General / BC/ EBC candidates and Rs. 300/- (Three hundred) only for SC / ST candidates.

After making successfull payment, either through challan or online payment, Step-2 is completed.

(iii) **STEP THREE (Personal Information) :** Click on **'Fill the Personal Information'** link and fill your Personal Information as required on computer screen. Passport size photograph of high contrast of the candidate and his / her full signature in Hindi and English (Not in Capital Letters) are to be scanned and to be uploaded. After filling personal Information, click on **'Submit'** button to complete Step-3.

(iv) **STEP FOUR (Educational Information) :** Click on **'Fill the Educational Information'** link and fill your Educational Information as required on computer screen. After filling Educational Information, click on **"Submit"** button to complete Step-4.

Note : (i) **The candidates are required to fill up the reservation category very carefully taking in to consideration the reservation policy/ rules / category as spacified and applicable in the State of Bihar on or before the date of starting the process of online submission of the prescribed application form for NEET (I)-2016.**

(ii) Before final submission of each step separately, a preview page will appear on the screen step wise. Make sure that you have filled all the informations correctly. If candidate wants to modify some informations, he / she can modify the entries. If all the informations are filled correctly, click on OK button of the preview page for final submission of the concerned steps of the Application Form. **After final submission, of the online Application Form, there will be no provision for any rectification / modification in the online submitted Application Form.**

(iii) The candidate must note that after submission of the Application form, it cannot be withdrawn. Claim for refund of Counselling Fee will also be not entertained.

(iv) After filling all the steps of Application Form, download and print out of the completely filled online Application Form in the format of (Part-A & Part-B) must be obtained which will appear on the computer screen.

(v) The BCECE Board will not be responsible for any disturbance in internet / postal / banking process. Therefore the candidates and must complete the entire process before the last date.

v. **Downloaded print of Online filled in Application Form, enclosures and paid challan :**

The print out of the 'Online' filled in Application Form (Part-A & Part-B) as obtained by the candidate should be processed further as per the directions given hereunder and should be submitted at the scheduled date / time of counselling :-

(a) Paste Passport size photograph (the same as scanned and submitted online) at the specified space.

(b) Put signature in Hindi and English (Not in Capital letter) at specified space.

(c) Give the declaration as per the text printed on the Part-B of the Application Form at specified space in your own handwriting (not in capital letters).

(d) Attach the Board's Copy of the paid challan with the downloaded print of Online filled in Application Form if payment done by Challan mode.

(e) Attach the downloaded print of Online filled in Application Form, the photo copies of all the certificates / documents as required mentioned in Para- 4 & 5 of the prospectus of UGMAC-2016.

vi. **Important dates for UGMAC-2016 :**

(i) Online Registration starting date : 26.08.2016 from 6.00 A.M.

(ii) Online Registration closing date : 30.08.2016 till 6.00 P.M.

(iii) Last date of payment through challan :30.08.2016 till 3.00 P.M.

(iv) Last date of payment through Net Banking / Debit Card / Credit Card with final submission of the online Application Form of Registered candidate: 30.08.2016 till 6.00 P.M.

(v) Proposed date of Counselling : 03.09.2016 (Start date)

7. आवश्यक सूचनायें :

7.1 जो आवेदक अपने ऑन लाइन प्रपत्र / कॉउन्सेलिंग के समय / नामांकन की किसी भी प्रक्रिया में अथवा नामांकन के बाद अगर अनुचित तरीके अपनाने के दोषी पाये जायेंगे या निर्धारित निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, उन्हें नामांकन की प्रक्रिया से निष्कासित कर दिया जायेगा । ऐसे निष्काषित अभ्यर्थियों के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है ।

7.2 NEET(UG)-2016 के आधार पर बिहार कोटा की मेधा-सूची (Rank list) तैयार करने में यदि किसी प्रकार की भूल / गलती का पता चलने पर नामांकन का दावा नहीं किया जा सकेगा ।

7.3 प्रत्येक अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियों तथा उनकी पहचान (Identity) की जाँच के बाद अन्तिम रुप से योग्य पाये जाने पर मेधा-सह-विकल्प के आधार पर, निर्धारित तिथि को (कॉउन्सेलिंग के क्रम में) पाठ्यक्रम / संस्थान का आवंटन किया जायेगा । आवंटन हेतु डाक्टरी जाँच कराना होगा और योग्य पाये जाने पर ही अन्तिम रूप से सीट (पाठ्यक्रम / संस्थान) आवंटित किया जा सकेगा।

7.4 NEET (UG)-2016 की मेधासूची के आधार पर नामांकन हेतु चयन के लिए मेडिकल कॉउन्सिल ऑफ इन्डिया के प्रावधान को लागू किया जायेगा । स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार से प्राप्त पत्र के अनुसार भविष्य में राज्य सरकार / भारत सरकार / भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद / भारतीय दन्त परिषद, माननीय न्यायालय से यदि कोई आदेश / निर्देश प्राप्त होता है तो विचारोपरान्त तद्नुसार कार्रवाई की जायेगी ।

7.5 NEET (UG)-2016 के सम्बन्ध में विज्ञापन के माध्यम से समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचना / सूचनाऐं या पर्षद की वेबसाइट पर दी गयी सूचना / सूचनाऐं, इसी विवरण पुस्तिका के भाग होंगे।

8. अन्य आवश्यक सूचनाएँ :

8.1 NEET (UG)-2016 की मेधासूची के आधार पर कॉउन्सेलिंग का संचालन बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद

करेगा । पर्षद् द्वारा परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से लिये गये सभी निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होंगे ।

8.2 इस विवरण पुस्तिका में दी गयी सूचनाओं के अतिरिक्त यदि किसी विशेष संस्थान के विषय में अधिक जानकारी की आवश्यकता हो तो उस संस्थान के अधिकारी से सीधे पत्राचार करें ।

8.3 इस विवरण पुस्तिका में दी गयी सूचनाओं में यदि कोई संशोधन/ परिवर्त्तन होगा या कोई अतिरिक्त सूचना होगी तो उसे आवेदकों को उनके साक्षात्कार के समय या इसके पूर्व ही यथासाध्य सूचित कर दिया जायेगा ।

8.4 समय-समय पर Website के माध्यम से UGMAC-2016 की कॉउन्सेलिंग से संबेंधित आवश्यक सूचना / सूचनायें दी जाती रहेंगी । उत्सुकतावश बार-बार अनावश्यक पत्र कृपया न लिखें, क्योंकि ऐसे पत्रों का उत्तर देना संभव नहीं होगा ।

8.5 UGMAC-2016 हेतु निर्गत इस विवरण पुस्तिका/ आवेदन प्रपत्र आदि में सम्मिलित किसी नियम/ सूचना को परिवर्तित/ विलोपित करने अथवा जोड़ने का अधिकार बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद के पास सुरक्षित है ।

8.6 अभ्यर्थियों के लिये समाचार पत्रों के अथवा Website माध्यम से प्रकाशित सूचना / नियम इस विवरण पुस्तिका के ही भाग होंगे ।

8.7 इस परीक्षा के लिये यदि किसी अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द की जाती है तो इसके लिए उसे सूचित करने की बाध्यता नहीं होगी ।

8.8 (क) अगर कोई अभ्यर्थी UGMAC-2016 के पूर्व, परीक्षा में या परीक्षा के उपरान्त, मेधा-सूची प्रकाशन के बाद या / एवं नामांकन होने के पश्चात् कभी भी गलत / त्रुटिपूर्ण या नकली प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का दोषी पाया जाता है तो नामांकन हेतु उसकी उम्मीदवारी स्वत: रद्द हो जायेगी ।

(ख) यदि कोई परीक्षार्थी कदाचार में लिप्त होने अथवा Impersonation का दोषी पाया जाता है या NEET(UG)-2016 की परीक्षा कक्ष में मोबाइल / इलेक्ट्रानिक गैजेट / ब्लूटूथ का उपयोग करते अथवा उसके / उनके साथ पकड़े जाने की पुष्टि होती है तो नामांकन हेतु निर्गत आवंटनादेश स्वत: रद्द हो जायेगा ।

8.9 NEET (UG)-2016 की मेधा-सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को अपने खर्चे से स्वयं कॉउन्सेलिंग / इन्टरभ्यू में, प्रमाण पत्रों एवं पहचान की जाँच आदि के लिये निश्चित तिथि एवं समय पर उपस्थित होना आवश्यक होगा अन्यथा नामांकन हेतु वे अपना दावा खो देंगे ।

8.10 कॉउन्सेलिंग / इन्टरभ्यू में मूल प्रमाण पत्रों / अभिलेखों की जाँच आदि के लिये अभ्यर्थी के स्वयं केवल उपस्थित हो जाने पर ही नामांकन हेतु उसका कोई दावा नहीं बनेगा ।

8.11 अगर भूलवश किसी अभ्यर्थी को UGMAC-2016 की कॉउन्सेलिंग में सम्मिलित होने की अनुमति मिल जाती है जो अन्यथा नहीं मिलनी चाहिए थी और नामांकन के पूर्व या उसके पश्चात् कभी भी इस भूल का पता चलता है तो वह मेधा-सूची में सम्मिलित होने के बावजूद नामांकन हेतु अपना दावा / अधिकार खो देगा । अगर इस सम्बन्ध में कोई वैध ानिक विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसी परिस्थिति में इस मामले में अन्तिम निर्णय होने तक अभ्यर्थी को नामांकन-आदेश निर्गत नहीं किया जायेगा ।

8.12 नामांकन प्रक्रिया समाप्ति की घोषित तिथि के बाद किसी भी संबेंधित संस्थान/ पाठ्यक्रम में किसी प्रकार की रिक्तियाँ फिर नहीं भरी जायेंगी ।

8.13 UGMAC-2016 के संचालन तथा इससे सम्बन्धित आवेदन प्रपत्रों से संबेंधित सभी विवाद केवल पटना नगर स्थित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अंदर ही दायर किये जायेंगे और वही मान्य होंगे । बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद के लिए परीक्षा नियंत्रक ही वैधिक व्यक्ति होंगे जिनके माध्यम से पर्षद् वाद दायर कर सकेगी अथवा पर्षद के विरुद्ध वाद दायर किये जा सकेंगे ।

''''''''''

परिशिष्ट-1

(Govt. Medical / Dental Colleges)

Statement of total available seats in different Medical Colleges for the session- 2016-2017

Schedule — A

Note : State Govt. / BCECE Board resourse the right to add new Institution / Seats in the Statement of any time for which information will be provided at the time of counselling.

Sl. No.	Medical / Dental College	Total seats	Central Nominees	All India Quota	State Quota Seats
1.	P.M.C, Patna	150	5	22	123
2.	D.M.C.,Laheriasarai	100	5	15	80
3.	J.L.N.M.C., Bhagalpur	100	4	15	81
4.	N.M.C., Patna	100	4	15	81
5.	S.K.M.C., Muzaffarpur	100	4	15	81
6.	A.N.M.M.C., Gaya	100	4	15	81
7.	I.G.I.M.S., Patna	100	-	15	85
8.	Govt. Medical College, Bettiah	100	-	15	85
9.	Vardhman Medical College, Pawapuri, Nalanda	100	-	15	85
10.	Patna Dental College, Patna	40	4	6	30
	TOTAL	**990**	**30**	**148**	**812**

Important Notes :

* (i) Any change in Institutions / number of seats will be made known at the time of Counselling / Interview.

(ii) Total Seats in each Institution are inclusive of Disable Quota Seats.

परिशिष्ट-2

Guidelines for Admission in Degree Courses in Medical Profession against Disabled Quota

In view of the order passed by the Hon'ble Supreme Court of India in C.A. No. 6120/2001 dated 18 Sept., 2002 and with reference to the Medical Council of India letter no. 34(1)/2003-MED/11773 the guidelines for the admission of physically handicapped candidates against 3% reserved seats under Disabled Quota in Medical / Dental / Ayurvedic / Tibbi / Homeopathic / Physiotherapy and Para Medical institution of Bihar are as under:

1. (a) Persons with only locamotary disability of lower limbs between 50% to 70% but otherwise medically fit and having upper limbs fully functional and normal are allowed the benefit of reservation under the disability Act, 1995 for admission against 3% seats of the annual sanctioned intake capacity under Disabled Quota seats to MBBS/ BDS/ PG Medical and other professional medical courses.

   Provided that in case any seat in this 3% quota remains unfilled on account of unavailability of candidates with locomotors disability of lower limbs between 50% to 70% then any such unfilled seat in this 3% quota shall be filled up by persons with locomotors disability of lower limbs between 40% to 50% before they are included in annual sanctioned seats for General Category candidates.

   Provided further that the entire excercise shall be completed as per the statutory time schedule for admissions and in no case any admission will be made in the MBBS/BDS course after 30th September.

   (b) The eligibility Criteria for admissions to persons with locomotors disability of lower limbs will be minimum of 45% marks instead of 50% taken together in qualifying Examination and Competitive Entrance Examination for admission in MBBS course.
2. The visually handicapped and hearing disabled persons are considered invalid and thus ineligible for admission to MBBS / PG Medical and other professional medical courses against Disabled Quota seats.
3. The candidates having locomotory disability involving upper limbs are not eligible for admission to MBBS / PG Medical and other professional medical courses.
4. For availing the benefits of reservation in Disabled Quota, the locomotory disabled candidates with disabilities involving the lower limbs must fulfil the following criteria/ guidelines :-
   (a) If the locomotory disability involves only one lower limb, it should not be less than 50% and should not exceed 70%.
   (b) If the locomotory disability involves both the lower limbs, the total disability should not exceed 70% with a minimum of 50%.
   (c) The disability certificate should be produced by a duly constituted and authorised medical board by the Government of Bihar.
   (d) The candidate should have minimum eligibility criteria as per Medical Council of India guidelines and should be otherwise medically fit.
5. The provision of this reservation will be applicable in government as well as non-government aided institutions.
6. The candidates, who are aspiring to get seats under Disabled Quota, should apply expressing their claims for the same along with the valid disability certificate.
7. The candidate, seeking the benefit for reservation under Disabled Quota, should present him/herself before a medical board comprising of atleast one expert / specialist from the speciality of orthopaedics from state medical board in the state of Bihar and obtain a valid disability certificate from the medical board by claiming the benefit of reservation.
8. The disability certificate of the candidate from a medical board shall (i) Give a permanent disability certificate where there are no chances of variation in the degree of disability (ii) Indicate the period of validity in the certificate, in cases where there is any chance of variation in the degree of disability.
9. In case, there are not enough number of Candidates, who qualify themselves for admission against reserved seats under Disabled Quota of any category, the consequent vacant seats should be merged with the seats of respective category.

Note : All above quideline will be subject to latest directions of Medical Council of India / Govt. of Bihar issued from time to time.

परिशिष्ट-3

अनुलग्नकों की सूची

1.	Mark sheet and Admit Card of +2/I.SC or equivalent Examination	-	by relevant Board/ Council.
2.	Passing Certificate of +2/I.SC or equivalent Examination	-	by relevant Board/ Council
3.	Mark sheet and Admit Card of 10th / equivalent Examination's mark sheet/ Certificate/ Admit Card	-	by relevant Board/ Council
4.	Caste Certificate & Permanent Residential Certificate	-	Issued by CO & Countersigned by SDO(Civil) / DM of Permanent Residence.
5.	Character Certificate	-	Issued by Head of Institution last attended/ studied
6.	Income Certificate (if needed)	-	Issued by CO & Countersigned by SDO(Civil) / DM of Permanent Residence.
7.	Admit Card	-	As issued by NEET(UG)-2016
8.	Photograph	-	Four Photo graphs identical to one used for preparing the Admit Card of NEET (UG)-2016
9.	Certificate of Disable Quota	-	As per Para-4.6.2 of this prospectus .

*****